रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED NO. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6, 1965 (फाल्गुन 15, 1886)
No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6, 1965 (PHALGUNA 15, 1886)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 फरवरी 1965 तक प्रकाशित किए गए थे :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 22nd February 1965 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
14	No. 8 ITC(PN)/65, dated 18-2-65	Min. of Commerce	Import of machinery, components thereof, equipment other commodities and raw materials from U.S.A. under the AID programme.
15	1/2/65-EIP(Agri), dated 22-2-65.	-Do.-	Recommendations of the Ad Hoc Committee regarding facilities for tobacco and Government's decision thereon.
	सं० 1/2/65 नि० म० कृषि, दिनांक 22 फरवरी 1965	वाणिज्य मंत्रालय	तदर्थ समिति द्वारा तम्बाकू के विषय में सिफारशें और सरकार द्वारा इसके विषय में फैसला।

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांगपत्र भेजने पर भेज दी जाएगी। मांगपत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

CONTENTS

	पृष्ठ Pages
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	95
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	185
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	9
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं	115
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—

	पृष्ठ Pages
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ..	391
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं	829
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	65
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	117
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें ..	71
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं ..	17
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं ..	2339
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें ..	43
पूरक सं० 10—	
27 फरवरी, 1965 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	305
6 फरवरी, 1965 को समाप्त होनेवाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से संबंधित आंकड़े ..	315

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 195

PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 185

PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions, issued by the Ministry of Defence 9

PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc., of Officers issued by the Ministry of Defence 115

PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. —

PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. —

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 391

PART II—SECTION 3.—SUB-SECTION (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. 829

PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. 65

PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India 117

PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta 71

PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners 17

PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies 2339

PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies . . 43

SUPPLEMENT No. 10 –

Weekly Epidemiological Reports for week-ending 27th February 1965 305

Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 6th February 1965 315

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधीतर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 फरवरी 1965

सं० एफ० 11-64/64-कोई—भारत सरकार ने तारीख 17 अगस्त, 1964 की अपनी अधिसूचना संख्या 11-64/64-कोई द्वारा निम्न व्यक्तियों की एक समिति गठित की थी :—

1. श्री राम निवास मिर्धा, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर (राजस्थान) ।	अध्यक्ष
2. श्री राम कृष्ण हेगडे, मंत्री, सामुदायिक विकास और सहकारिता, मैसूर, बंगलौर ।	सदस्य
3. चौधरी ब्रह्म प्रकाश, संसद् सदस्य, नई दिल्ली ।	सदस्य
4. श्री दिगम्बर सिंह चौधरी, संसद् सदस्य, मथुरा ।	सदस्य
5. श्री नन्द किशोर नारायण, प्रधान, बिहार सहकारी संघ, पटना ।	सदस्य
6. श्री एल० एन० वोगीरवार, निबन्धक सहकारी समितियां, महाराष्ट्र, पूना ।	सदस्य
7. श्री एम० एल० बतरा, मुख्य अधिकारी, रूरल क्रेडिट, स्टेट बैंक आफ इंडिया, बम्बई ।	सदस्य
8. श्री ए० सी० बंद्योपाध्याय, उप सचिव, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य-सचिव

2. समिति को स्वस्थ आधार पर सहकारी आंदोलन के विकास से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की व्यापक जांच करनी थी और नकली सहकारी समितियों को निकालने, सहकारी समितियों में निहित स्वार्थ को समाप्त करने और सहकारिता आन्दोलन में आत्म-निर्भरता तथा स्वतः नियमन को बढ़ावा देने सम्बन्धी उपाय सुझाने थे । समिति को अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1964 तक देनी थी । चूंकि अध्ययन की समस्याएं जटिल थी, अतः समिति उक्त तारीख तक अपना काम पूरा नहीं कर सकी है और समिति के अध्यक्ष ने निवेदन किया है कि रिपोर्ट पेश करने की अवधि 30 अप्रैल, 1965 तक बढ़ा दी जाए ।

3. तद्नुसार भारत सरकार ने निर्णय किया है कि समिति की अवधि 30 अप्रैल, 1965 अथवा उस तारीख तक जबकि समिति अपनी रिपोर्ट पेश करे, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दी जाए ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रतिलिपि सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को भारत सरकार के राजपत्र में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए ।

एम० चक्रवर्ती, सचिव

गृह मंत्रालय

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 1965

सं० 20/2/65-ए०आई०एस० (I)—निम्नलिखित सेवाओं में रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए, अक्तूबर/नवम्बर, 1965 में लोक संघ सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम, सम्पृक्त मंत्रालयों की, और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत के नियन्त्रक और महालेखा-परीक्षक की, सहमति से, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

वर्ग—I

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा, और

(ii) भारतीय विदेश सेवा ।

वर्ग—II

(i) भारतीय पुलिस सेवा, और

(ii) दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा श्रेणी

वर्ग—III

(क) श्रेणी I की सेवाएं :

(i) केन्द्रीय सूचना सेवा, (ग्रेड II) श्रेणी I,
(ii) भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा,
(iii) भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क सेवा,
(iv) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,
(v) भारतीय आय-कर सेवा (श्रेणी I),
(vi) भारतीय, आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा, श्रेणी I (सहायक प्रबंधक—गैर तकनीकी)
(vii) भारतीय डाक सेवा, श्रेणी I
(viii) भारतीय रेलवे लेखा सेवा,
(ix) सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी I, और
(x) भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व स्थापना के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग ।

(ख) श्रेणी II की सेवाएं :

(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी II
(ii) सीमा शुल्क मूल्य निरूपक सेवा, श्रेणी II
(iii) दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा, श्रेणी II

(iv) भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख), अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी II

(v) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, श्रेणी II, और

(vi) सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी II

2. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट II में विहित रीति से लेगा ।

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा नियुक्त किये जायेंगे ।

3. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अहंक अंक अभिप्राप्त कर लेते हैं, जितने आयोग स्वविवेकानुसार नियत करे, उन्हें आयोग व्यक्तित्व-परीक्षण और इंटरव्यू के लिए बुलाएगा ।

परीक्षा के पश्चात्, उम्मीदवारों को उस योग्यता क्रम में रखा जाएगा जो हरएक उम्मीदवार को अंतिम रूप से मिले कुल अंकों से प्रकट हो, और उस क्रम में उतने उम्मीदवारों की, जितनों को स्वविवेक आयोग, से परीक्षा द्वारा अहं पाये अनारक्षित रिक्तियों में से उतनी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी, जितनी उस परीक्षा फल के आधार पर भरी जानी हैं ।

परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों का जो उम्मीदवार यद्यपि आयोग द्वारा किसी सेवा के लिये विहित मान के अनुकूल अहं नहीं है फिर भी प्रशासन की कार्य कुशलता को सम्यक् रूप से ध्यान में रखकर उसमें नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा उपयुक्त घोषित किया जाता है, उसकी उस सेवा में, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति के लिये सिफारिश की जाएगी ।

लेखा विभाग से लेखापरीक्षा विभाग के पृथक् होने और अन्य सुधारों की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के गठन में परिवर्तन होना सम्भाव्य है अतः उस सेवा के लिये चुने गए किसी उम्मीदवार का ऐसे किन्हीं परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, प्रतिकर का दावा नहीं होगा और वह या तो केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन पृथक्कृत रेखा कार्यालयों में या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अधीन कानूनी लेखापरीक्षा कार्यालयों में सेवा करने के और यदि सेवा की आवश्यकताओं से ऐसा अपेक्षित हो तो उन संवर्गों में अन्तिम रूप से विलीन किया जाने के दायित्वाधीन होगा जिन पर कि केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अधीन पृथक्कृत लेखा कार्यालयों में पद ले आये जायें ।

उम्मीदवार ने अपना आवेदन देते समय जो अधिमान अभिव्यक्त किये हैं उन पर सम्यक् रूप से विचार किया जायेगा किन्तु भारत सरकार उसे किसी भी ऐसी सेवा को समनुदेशित करने का, जिसके लिये वह उम्मीदवार हो, अधिकार आरक्षित रखती है ।

परन्तु जो उम्मीदवार किसी पूर्वतर भारतीय प्रशासनिक सेवा, आदि की परीक्षा फलों के आधार पर पहले ही वर्ग सेवा के प्रवर्ग III में किसी स्थायी पद पर नियुक्त किया जा चुका हो उसे बाद की किसी परीक्षा के फलों के आधार पर इस प्रवर्ग के अधीन वाली किसी दूसरी वर्ग I सेवा में रखने पर विचार नहीं किया जाएगा ।

टिप्पण : अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका विनिश्चय आयोग स्वविवेक से करेगा ।

4. भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि में भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में तीन प्रवर्गों की सेवाओं के लिए तीन पृथक् और सुस्पष्ट परीक्षाएं समाविष्ट समझी जाएंगी, अर्थात्;

(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा,

(ii) भारतीय पुलिस सेवा तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश

(iii) पुलिस सेवा, और केन्द्रीय सेवाएं तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा ।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य नहीं है, या पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं है, या अन्डमान और निकोबार द्वीप का निवासी नहीं है या श्रीलंका से प्रत्यावर्तित नहीं है, या गोआ दमन और दीव के संघ राज्यक्षेत्र का निवासी नहीं है या कीनिया, युगान्डा और तन्जानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) का प्रवासी नहीं है, उसे ऊपर के नियम में वर्णित सेवाओं के तीन प्रवर्गों में से हर एक के लिये परीक्षा में दो बार से अधिक प्रतियोगिता करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, किन्तु यह निर्बन्धन में हुई परीक्षा से प्रभावी है ।

टिप्पण :— यदि कोई उम्मीदवार वस्तुतः किसी एक या अधिक विषयों में परीक्षा में बैठता है तो यह समझा जायेगा कि उसने परीक्षा में प्रतियोगिता की है ।

6. (क) (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा के, भारतीय विदेश सेवा के और ऊपर के पैरा एक में वर्णित शेष सभी सेवाओं के, भारतीय पुलिस सेवा तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा को छोड़कर, उम्मीदवार के लिये यह आवश्यक है कि उसने 1 अगस्त, 1965 को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 24 वर्ष की आयु पूरी न की हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1941 के पहले और 1 अगस्त, 1944 के पश्चात् न हुआ हो ।

(ii) भारतीय पुलिस सेवा तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के उम्मीदवार के लिये यह आवश्यक है कि उसने 1 अगस्त, 1965 को 20 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 24 वर्ष की आयु पूरी न की हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1941 के पहले और 1 अगस्त, 1945 के पश्चात् न हुआ हो ।

(ख) ऊपर विहित उच्चतर आयु सीमा में निम्नलिखित छूट दी जा सकती है :—

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का है तो अधिक से अधिक पांच वर्ष;

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान का वास्तविक विस्थापित है और उसने 1 जनवरी, 1964 को या के पश्चात् भारत में प्रव्रजन किया है तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है और पूर्वी पाकिस्तान का वास्तविक विथापित भी है और उसने 1 जनवरी 1964 को या के पश्चात् भारत में प्रव्रजन किया है तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(iv) यदि उम्मीदवार पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र का निवासी है तथा उसने कभी किसी प्रक्रम में फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की है तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(v) यदि उम्मीदवार अंडमान और निकोबार द्वीप का निवासी है तो अधिक से अधिक चार वर्ष;

(vi) यदि उम्मीदवार भारतीय नागरिक है और श्रीलंका से प्रत्यावर्तित है तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(vii) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दीव के संघ राज्यक्षेत्र का निवासी है तो अधिक से अधिक तीन वर्ष; और

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय उद्भव का है और उसने कीनिया, युगान्डा तथा तन्जानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टागानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया है तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

विहित आयु सीमाओं में छूट ऊपर यथा-उपबंधित को छोड़कर किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती ।

7. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत में पहले ही सरकारी सेवा में है उसे इस परीक्षा में बैठने के लिये अपने विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा अवश्य लेनी चाहिए ।

8. (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के उम्मीदवार के पास, परिशिष्ट में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय की कला विषय, विज्ञान (न कि टैक्नोलोजी या रसायन इंजीनियरी में विज्ञान की डिग्री), वाणिज्य कृषि या सिविल यांत्रिक या विद्युत् (जिसमें दूर-संचार सम्मिलित है) इंजीनियरी की कोई डिग्री होनी चाहिए अथवा उसके पास परिशिष्ट I–क में वर्णित 1 से 10 तक की अर्हताओं में से कोई होनी चाहिए ।

जिस उम्मीदवार के पास बम्बई, पूना, गुजरात और कर्नाटक विश्वविद्यालयों की एल-एल-बी० की डिग्री (पुनरीक्षित पाठ्यक्रम) हो, अथवा आन्ध्र विश्वविद्यालय की बी०एल० की डिग्री हो, वह भी भारतीय प्रशसनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा का पात्र है ।

जिन उम्मीदवारों के पास बम्बई विश्वविद्यालय की एल-एल-बी० की डिग्री (पुनरीक्षित पाठ्यक्रम) हो किन्तु जिन्हें यूनिवर्सिटी आफिसर ट्रेनिंग कोर अथवा नेशनल कैडेट कोर का सदस्य होने के कारण विहित पाठ्यक्रम के किन्हीं प्रश्नपत्रों से छूट दी गई हो, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के पात्र नही होंगे ।

टिप्पण .—कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में लिए जाने के लिए शिक्षा की दृष्टि से पात्र है या नहीं, इस प्रश्न का विनिश्चय आयोग ही करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(ख) भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व स्थापना के परिवहन (यातायात) तथा वाणिज्य विभागो की सेवा को छोड़ कर अन्य सेवाओं से उम्मीदवार को परिशिष्ट I में उल्लिखित विश्वविद्यालयों में से किसी एक का स्नातक होना चाहिये अथवा परिशिष्ट I-क में वर्णित अर्हताओं में से एक उसके पास अवश्य होनी चाहिए ।

(ग) भारतीय रेलवे की उच्च राजस्व स्थापना के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभागो के उम्मीदवार के लिये यह आवश्यक है कि :—

(i) उसके पास परिशिष्ट I में उल्लिखित विश्वविद्यालयों में से किसी एक की डिग्री हो या परिशिष्ट I-क में वर्णित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता हो, अथवा

(ii) उसने इन्स्ट्रीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (भारत) की सह-सदस्यता (एसोशियेट मेम्बरशिप परीक्षा का अनुभाग 'क' और 'ख' पास कर लिया हो अथवा उसके पास ऐसी शैक्षिक अर्हतायें हों जो उस संस्था द्वारा इस रूप में मान्य हों या बाद में हो जायें कि उनके होने पर उस परीक्षा के अनुभाग क और ख को पास करने से छूट मिल जाती है, अथवा

(iii) उसके पास इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स, बंगलौर की सहसदस्यता (एसोशिएटशिप) या फैलोशिप हो, अथवा

(iv) उसके पास लोबरो कालेज, लेसेस्टरशायर की सिविल, यांत्रिक या विद्युत इंजीनियरी में आनर्स डिप्लोमा हो । ऐसा उम्मीदवार सामान्य प्रारम्भिक परीक्षा पास होना चाहिए अथवा उसे उसमे छूट मिली होनी चाहिए, अथवा ।

(v) वह इन्स्टीट्यूट आफ टेली-कम्युनिकेशन इंजीनियर्स (भारत) से स्नातक सदस्यता परीक्षा (ग्रेजुएट मेम्बरशिप एग्जामिनेशन) पास हो, अथवा

(vi) वह इन्स्टीट्यूट आफ इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड रेडियो इंजीनियर्स (लंदन) की नवम्बर 1959 के बाद हुई स्नातक सदस्यता परीक्षा पास हो। इन्स्टीट्यूशन आफ इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड रेडियो इंजीनियर्स (लंदन) की नवम्बर, 1959 से पहले ली गई स्नातक सदस्यता परीक्षा भी नीचे लिखी शर्तों के अध्यधीन स्वीकार्य है :—

(1) कि नवम्बर, 1959 से पहले हुई परीक्षायें पास करने वाले उम्मीदवार निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों की परीक्षा में बैठे हों और पास हुये हों :—

(i) इलैक्ट्रिकल इंजीनियर के सिद्धान्त और प्रयोग (1959 के बाद की संयोजना) के अनुभाग 'क' में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार)

(ii) गणित II (1959 के बाद की संयोजना के अनुभाग 'ख' में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार)

(2) कि सम्पृक्त उम्मीदवारों को इन्स्टीट्यूशन आफ इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड रेडियो इंजीनियर्स (लंदन) का इस आशय का प्रमाणपत्र पेश करना चाहिए कि वे ऊपर (1) में विहित शर्तें पूरी करने हैं ।

(घ) अपवादिक मामलों में, संघ लोक सेवा आयोग, ऐसे उम्मीदवार को जिसके पास पूर्वोक्त अर्हताओं में से कोई अर्हता नही है, अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकेगा, परन्तु यह तब जब कि उसने दूसरी संस्थाओं द्वारा ली गई ऐसी परीक्षाएं पास की हों, जिनका स्तर आयोग की राय में ऐसा है कि उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने दिया जाना न्यायोचित है ।

टिप्पण 1:—जो उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुके हैं जिसमें पास हो जाने से वे इस परीक्षा में बैठने के पात्र हो जायेंगे किन्तु जिसके फल की सूचना उन्हें नही मिली है वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे । जो उम्मीदवार ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वे भी आवेदन कर सकेंगे परन्तु यह तब जबकि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहले पूरी हो जाये । ऐसे उम्मीदवारों को, यदि वे अन्यथा पात्र हों तो, परीक्षा में बैठने दिया जायेगा किन्तु यह प्रवेश अन्तःकालीन समझा जायेगा, और यदि वे उस परीक्षा को पास कर लेने का प्रमाण यथासंभव शीघ्र और किसी भी स्थिति में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात् दो महीने के अनुपरान्त पेश नहीं करते तो यह प्रवेश रद्द किया जा सकता है ।

टिप्पण 2 :—जो उम्मीदवार अन्यथा अर्ह हों पर उन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्रियां ली हों जिन्हें परिपशष्ट I में शामिल नहीं किया गया है, वे भी आयोग से आवेदन कर सकेंगे तथा आयोग के स्वविवेकानुसार उन्हें परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।

9. (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए ।

(2) अन्य सेवाओं के लिए उम्मीदवार को या तो
(क) भारत का नागरिक, या
(ख) सिक्किम की प्रजा, या
(ग) नेपाल की प्रजा, या
(घ) भूटान की प्रजा, या
(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पहले भारत आ गया था, या

(च) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान से प्रव्रजन किया हो :—

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) प्रवर्गों वाले उम्मीदवार को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में भारत सरकार ने पात्रता का प्रमाणपत्र दे दिया हो और यदि वह (च) कोटि का हो तो पात्रता का प्रमाणपत्र उसकी नियुक्ति की तारीख से केवल एक वर्ष की कालावधि तक मान्य होगा । उसके बाद ऐसे उम्मीदवार को सेवा में इस बात के अधीन रहते हुये जारी रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता अर्जित कर ली है ।

किन्तु नीचे लिखे प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के उम्मीदवारों से पात्रता का प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक नहीं होगा —

(i) वे व्यक्ति, जिन्होंने 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया हो और तब से मामूली तौर पर भारत में ही रह रहे हों।

(ii) वे व्यक्ति, जिन्होंने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात् पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया हो और अपने को संविधान के अनुच्छेद के अधीन नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत कर लिया हो।

(iii) ऊपर के (च) प्रवर्ग के वे अनागरिक जो संविधान प्रारम्भ, अर्थात् 26 जनवरी 1950 के पहले भारत सरकार के अधीन सेवा में आए और तब से सेवा में बने हुये हैं। किन्तु जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पश्चात् सेवा के भंग होने पर ऐसी सेवा में पुन प्रविष्ट हुआ हो या पुन प्रविष्ट हो, उस से प्रायिक रीति से पात्रता के प्रमाण-पत्र की अपेक्षा की जाएगी।

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसके पक्ष में सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र दिए जाने के अध्यधीन, उसे परीक्षा में बैठाया जा सकता है और अस्थायी रूप से नियुक्ति भी किया जा सकता है।

10. (क)—कोई पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुये ऐसी विधा से विवाह करता है जिससे ऐसी पत्नी के जीवनकाल के दौरान में किये जाने के कारण वह विवाह शून्य है, उन सेवाओं में से किसी में, जिन में नियुक्तियां इस प्रतियोगिता परीक्षा के फलों के आधार पर की जाती हैं, नियुक्ति का पात्र तब तक नहीं होगा जब तक कि भारत सरकार, अपना यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, किसी पुरुष उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(ख) कोई स्त्री उम्मीदवार, जिसका विवाह इस कारण शून्य हो कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी कि ऐसे विवाह के समय पत्नी जीवित थी, उन सेवाओं में से किसी में, जिन में नियुक्तियां इस प्रतियोगिता परीक्षा के फलों के आधार पर की जाती हैं, नियुक्ति की पात्र तब तक नहीं होगी जब तक कि भारत सरकार अपना यह समाधान हो जाने के पश्चात कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, किसी स्त्री उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

11. भारत सरकार इस बात के लिये स्वतन्त्र होगी कि वह ऐसी स्त्री उम्मीदवार को, जो विवाहित हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा/दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा में नियुक्त न करे अथवा ऐसी किसी उम्मीदवार से जो विवाहित न हो, उस दशा में जब कि वह बाद में विवाह कर लेती है, सेवा से त्यागपत्र देने की अपेक्षा करे, यदि सेवा की कार्य-कुशलता बनाये रखने के लिये वैसा करना अपेक्षित हो।

12. भारतीय विदेश सेवा के लिए कोई स्त्री उम्मीदवार केवल तभी पात्र हो सकती है जब कि वह अविवाहित हो अथवा अभिभारा रहित विधवा हो। यदि ऐसी कोई उम्मीदवार चुनी जाती है तो उसे इस स्पष्ट शर्त पर नियुक्त किया जाएगा कि विवाह या पुनर्विवाह करने पर उसमें सेवा से त्यागपत्र देने की मांग की जा सकती है।

भारतीय विदेश सेवा शाखा 'क' अथवा 'ख' में नियुक्त आफिसरों को भारतीय राष्ट्रिकता वाले व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों से किन्हीं भी परिस्थितियों में, विवाह नहीं करने दिया जायेगा।

13. उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए और उसमें कोई ऐसी शारीरिक खराबी होनी नहीं चाहिए जिससे उस सेवा के आफिसर के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में अड़चन पड़ना सम्भाव्य हो। जिस उम्मीदवार के बारे में, ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात जिसे यथास्थिति सरकार या नियोक्ता प्राधिकारी विहित करे, यह पाया जाए कि वह इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी। आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए गए किसी भी उम्मीदवार से चिकित्सीय परीक्षा कराने की अपेक्षा की जा सकती है।

टिप्पण —उम्मीदवारों को बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन को हैसियत के किसी सरकारी चिकित्सा आफिसर से अपनी जांच करवा लें। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की चिकित्सीय परीक्षा होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट IV में दिये गये हैं।

14. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता, जब तक कि सरकार का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाये यह समाधान न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है।

15. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

16. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

17. उम्मीदवारों को आयोग की सूचना के उपाबन्ध I में विहित फीस देनी चाहिए। फीस की वापसी के लिये कोई दावा उस उपबन्ध में कथित सीमा तक ग्रहण किये जाने के सिवाय ग्रहण नहीं किया जायेगा और न फीस किसी अन्य परीक्षा या चुनाव के लिये ही आरक्षित की जा सकती है।

18. यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन अभिप्राप्त करने के लिये किसी भी प्रकार से कोई प्रयास करेगा तो वह परीक्षा में प्रवेश के लिये अनर्ह कर दिया जाएगा।

19. जो कोई उम्मीदवार प्रतिरूपण का अथवा जाली दस्तावेजें या ऐसी दस्तावेजें जिनमें गड़बड़ की गयी है पेश करने का अथवा ऐसे कथन करने का जो ठीक नहीं है या मिथ्या है अथवा सारवान जानकारी दबाने का या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये अन्यथा कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने का या परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय काम में लाने या काम में लाने का प्रयास

करने का अथवा परीक्षा भवन में कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा घोषित किया गया है, वह अपने आपको दाण्डिक अभियोजन के दायित्वाधीन करने के साथ ही साथ

(क) स्थायी रूप से अथवा किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये :—

(i) आयोग द्वारा किसी ऐसी परीक्षा में प्रवेश से या किसी ऐसे इन्टरव्यू में हाजिर होने से जो उम्मीदवारों के चुनाव के लिये आयोग द्वारा किया जाता है, तथा

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन नियोजन से,

विवर्जित किया जा सकेगा,

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार के अधीन सेवा में है तो, समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के दायित्वाधीन हो सकेगा ।

20. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में प्रविष्ट होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने में लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में प्रविष्ट होने के बाद देनी पड़ती है ।

ओ० स० मारवाह, अवर सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

संकल्प

कोयले के लिए अध्ययन दल

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी 1965

सं० 32/5/65/एम० एण्ड एफ०—भारत सरकार के संकल्प सं० 32/5/65-एम० एण्ड एफ० दिनांक 18 जनवरी 1965 का आंशिक रूपान्तरण करते हुए भारत सरकार ने निश्चय किया है कि अध्ययन दल के गठन से सम्बन्धित संकल्प के पैरा 3 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :—

"3—**गठन**

1. डा० पी० एस० लोकनाथन, महा निदेशक, राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थशास्त्र गवेषण परिषद् ।	अध्यक्ष
2. श्री छेदी लाल, संयुक्त सचिव, खान तथा धातु विभाग ।	सदस्य
3. श्री बी० मित्तर, अध्यक्ष, भारतीय खनन संस्था, कलकत्ता ।	सदस्य
4. श्री एस० के० सिन्हा, औद्योगिक सलाहकार, संभरण तथा तकनीकी विकास विभाग ।	सदस्य
5. श्री बी० आर० अन्तानी, निदेशक, एम० एम० टी० सी० ।	सदस्य
6. श्री एस० के० मुखर्जी, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय ।	सदस्य

एम० एम० टी० सी०, कलकत्ता के उपक्षेत्रीय प्रबन्धक श्री बी० बी० बनर्जी अध्ययन दल के सचिव का कार्य करेंगे ।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० के० मुखर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

RULES

New Delhi, the 6th March 1965

No. 20/2/65-AIS(I).—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in October/November, 1965, for the purpose of filling vacancies in the following services are with the concurrence of the Ministries concerned and the Comptroller and Auditor General of India in respect of the Indian Audit and Accounts Service, published for general information :—

Category I

(i) The Indian Administrative Service, and

(ii) The Indian Foreign Service.

Category II

(i) The Indian Polices Service, and

(ii) The Delhi & Himachal Pradesh Police Service, Class II.

Category III

(a) *Class I Services* :

(i) The Central Information Service, (Grade II), Class I,

(ii) The Indian Audit & Accounts Service,

(iii) The Indian Customs & Central Excise Service,

(iv) The Indian Defence Accounts Service,

(v) The Indian Income-tax Service (Class I),

(vi) The Indian Ordnance Factories Services, Class I. (Assistant Managers-non-Technical),

(vii) The Indian Postal Service, Class I,

(viii) The Indian Railway Accounts Service,

(ix) The Military Lands and Cantonments Service, Class I, and

(x) The Transportation (Traffic) and Commercial Departments of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways

(b) *Class II Services* :

(i) The Central Secretariat Service, Section Officers' Grade, Class II,

(ii) The Customs Appraisers' Service, Class II,

(iii) The Delhi & Himachal Pradesh Civil Service, Class II.

(iv) The Indian Foreign Service, Branch (B) Section Officers' Grade, Class II,

(v) The Railway Board Secretariat Service, Class II, and

(vi) The Military Lands and Cantonments Service, Class II.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission in their discretion to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission for any Service, is declared by them to be suitable for appointment thereto with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for appointment to vacancies reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in that Service

In view of the possibility of the separation of Audit from Accounts and other reforms, the Constitution of the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo changes and any candidate selected for that Service will have no claim for compensation in consequence of any such changes and will be liable to serve either in the separated Accounts Offices under the Central or State Government or in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies of service require it in the cadres on which posts in the separated Accounts Offices under the Central or State Governments may be borne.

Due consideration will be given to the preferences expressed by a candidate at the time of his application, but the Government of India reserve the right to assign him to any Service for which he is a candidate.

Provided a candidate who has already been appointed to a permanent post in a Class I Service in Category III on the results of an earlier Indian Administrative Service etc. Examination will not be considered for allotment to another Class I Service within this Category on the results of a later examination.

NOTE.—The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion.

4. The combined competitive examination for recruitment to I.A.S. etc. is to be treated as comprising three separate and distinct examinations for three categories of services, *viz.*, (I) I.A.S. and I.F.S., (II) I.P.S. and Delhi and Himachal Pradesh Police Service and (III) Central Services and Delhi and Himachal Pradesh Civil Service.

5. No candidates who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Andaman & Nicobar Islands or is not a repatriate from Ceylon or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination for each of the three categories of Services mentioned in Rule 4 above, but this restriction is effective from the examination held in 1961.

NOTE.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

6. (a) (i) A candidate for the Indian Administrative Service, the Indian Foreign Service and for all the remaining services, excepting the Indian Police Service and Delhi and Himachal Pradesh Police Service mentioned in paragraph 1 above must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 24 years on the 1st August, 1965 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd August, 1941 and not later than 1st August, 1944.

(ii) A candidate for the Indian Police Service and Delhi and Himachal Pradesh Police Service must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 24 years on the 1st August, 1965 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd August, 1941 and not later than 1st August, 1945.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at one stage or another;

(v) up to a maximum of four years if a candidate is a resident of the Andaman and Nicobar Islands;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is an Indian citizen and is a repatriate from Ceylon;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu; and

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar)

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

7. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or a temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

8. (a) A candidate for the Indian Administrative Service and Indian Foreign Service must hold a degree in Arts, Science (but not a Science degree in Technology or Chemical Engineering); Commerce, Agriculture or in Civil, Mechanical or Electrical (including Tele-Communication) Engineering of one of the Universities enumerated in Appendix I, or possess one of the qualifications 1 to 10 mentioned in Appendix I-A.

A candidate holding the LL.B. degree of Bombay, Poona, Gujarat and Karnatak Universities (revised course) or the B.L. degree of Andhra University is also eligible for the Indian Administrative Service and Indian Foreign Service.

Candidates, who hold LL.B. degree of the Bombay University (revised course) but were exempted from any of the papers of the prescribed course on the ground of their being members of the University Officers Training Corps or National Cadet Corps, will, however, not be eligible for the Indian Administrative Service and Indian Foreign Service.

NOTE.—Any question whether a candidate is educationally eligible for admission to the examination shall be decided by the Commission, whose decision will be final.

(b) A candidate for the other Services except for the Transportation (Traffic) and Commercial Departments of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways must be a graduate of one of the Universities enumerated in Appendix I or must possess one of the qualifications mentioned in

Appendix I-A

(c) A candidate for the Transportation (Traffic) and Commercial Departments of the Superior Revenue Establishment of Indian Railways must—

(i) hold a degree of one of the Universities enumerated in Appendix I; or possess one of the qualifications mentioned in Appendix I-A; or

(ii) have passed Sections A and B of the Associate membership examination of the Institution of Engineers (India); or have such educational qualifications as are now or may subsequently be recognised by that Institution as exempting candidates from passing Sections A and B of that examination; or

(iii) hold the Associateship or Fellowship of the Indian Institute of Science, Bangalore; or

(iv) hold the Hons. Diploma in Civil, Mechanical or Electrical Engineering of the Loughborough College, Leicestershire. Such a candidate must have passed the common preliminary examination or must have been exempted therefrom; or

(v) have passed the Graduate Membership Examination of the Institution of Tele-Communication Engineers (India); or

(vi) have passed the Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers (London) held after November, 1959.

The Graduate Membership Examination of the Institution of Electronics and Radio Engineers (London) held prior to November, 1959, is also acceptable subject to the following conditions :—

(1) that the candidates who have passed the examinations held prior to November, 1959, should have appeared and passed in the following additional subjects :

(i) Principles and applications of Electrical Engineering (in accordance with the syllabus prescribed in Section A of Post-1959 Scheme).

(ii) Mathematics II (in accordance with the syllabus prescribed in Section B of Post-1959 Scheme).

(2) that the candidates concerned should produce a certificate from the Institution of Electronics and Radio Engineers (London) in fulfilment of the condition prescribed at (1) above.

(d) In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE 1.—Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them eligible to appear at this examination but have not been informed of the result may apply for admission to the examination. Candidates who intend to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—Candidates who are otherwise qualified but who have taken degrees from Foreign Universities which are not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

9. (1) For the Indian Administrative Service and the Indian Police Service, a candidate must be a citizen of India.

(2) For other services, a candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan with the intention of permanently settling in India;

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been granted by the Government of India, and if he belongs to category (f) the certificate of eligibility, will be valid only for a period of one year from the date of his appointment beyond which such a candidate will be retained in service subject to his having acquired Indian citizenship.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens under Article 6 of the Constitution.

(iii) Non citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, *viz.*, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being granted in his favour by the Government.

10. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to any of the Services, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any male candidate from the operation of this rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the Services, appointments to which are made on the results of this competitive examination unless the Government of India, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

11. It will be open to the Government of India, not to appoint to the Indian Administrative Service/Indian Police Service/Delhi and Himachal Pradesh Civil Service/Delhi and Himachal Pradesh Police Service, a woman candidate who is married or to require such a candidate who is not married, to resign from the Service in the event of her marrying subsequently if the maintenance of the efficiency of the Service so requires.

12. For the Indian Foreign Service a woman candidate is eligible only if she is unmarried or a widow without encumbrances. If such a candidate is selected, she will be appointed on the express condition that she might be called upon to resign from the Service on marriage or remarriage.

Under no circumstances, the officers appointed to the Indian Foreign Service Branch 'A' or 'B' will be allowed to marry persons other than of Indian nationality.

13. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules.

14. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

15. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

16. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

17. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice. No claim for a refund of the fee will be entertained except to the extent stated in that Annexure nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

18. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

19. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination shall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

20. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into service.

O. S. MARWAH, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(Communications Division)

New Delhi, the 25th February 1965

No. 1055-PTI/65.—The President hereby directs that the following further amendment shall be made in the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959 published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) [No. F. 3(40)-NS/58, dated the 19th December, 1958], namely :—

In rule 2 of the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959, for the words and figures "Post Office Savings Bank Rules, 1881", the words "Post Office Savings Bank Rules for the time being in force," shall be substituted.

C. B. GULATI, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 22nd February 1965

No. 1(6)TEX(I)/65.—In the Government of India Ministry of Commerce Resolution No. 3(9)Tex(A)/64, dated the 13th October 1964, published in the Gazette of India Extraordinary, Part I, Section I on the 13th October 1964, and as amended by Notifications No. 3(9)Tex(A)/64, dated the 21st October 1964, the 31st October 1964, the 23rd November 1964, the 19th December 1964 and the 23rd January 1965, the following amendment shall be made :—

After entry number 17D, the following entries shall be inserted :

17E. Shri Gauri Shankar Sood, Delhi.

17F. Shri R. R. Bhiwaniwalla, Calcutta.

A. G. V. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT

(Transport Wing)

RESOLUTION

INLAND WATER TRANSPORT DIRECTORATE

New Delhi, the 23rd February 1965

No. 7-IWT(65)/64.—The question of setting up a technical organisation to deal with the various aspects of development of Inland Water Transport in an efficient and coordinated manner has been under consideration for some time past. A Technical Directorate of Inland Water Transport has accordingly been set up in the Ministry of Transport. The immediate task of the Directorate will be to study the existing waterways in the country and draw up a list of waterways where navigational facilities are either to be provided or improved and prepare specific schemes for the purpose in consultation with the State Governments.

2. The functions of the Inland Water Transport Directorate will be as follows :—

(a) to study the transport requirements of the country with a view to coordinate inland water transport with other modes for—

(i) immediate requirements; and

(ii) long term planning;

(b) to study the existing waterways in the country and formulate schemes for their improvement;

(c) to prepare technical reports on design of waterways and connected structures;

(d) to formulate proposals for extension of navigability of inland waterways for immediate and short term implementation having regard to availability of water under Irrigation Power Multipurpose projects (in consultation with the Central Water and Power Commission)—including any special project to be undertaken purely for navigation;

(e) to investigate and prepare project reports, design and estimates after carrying out necessary structural and hydraulic model test for the above in consultation with and coordination with the State Chief Engineers concerned and the Central Water and Power Commission;

(f) to study modern development, in all aspects such as improved design of craft, navigational aids, terminal facilities and conservancy; necessary research would also be carried out;

(g) to draw up standards for classification of waterways, size of locks and clearance under bridges, etc;

(h) to set up suitable training establishments for training of—

(i) diesel mechanics;

(ii) deck and engine room personnel; and

(iii) conservancy and technical staff;

(i) to render technical advice to the Central and State Governments on Inland Water Transport matters.

3. The Inland Water Transport Directorate will be headed by a Chief Engineer (Director) who will in technical matters associate and consult the Development Adviser, Chief Engineer, Roads Development (Roads Wing) and the Central Water and Power Commission wherever necessary. The Directorate will ensure proper coordination with the Central Water and Power Commission and the Army and Naval Headquarters particularly on the following aspects of development concerning Inland Water Transport :—

(i) planning, coordination and training of personnel;
(ii) traffic;
(iii) civil engineering;
(iv) navigation, conservancy and dredging;
(v) naval architecture and marine engineering;
(vi) investigations and surveys;
(vii) project reports; and
(viii) designs and research.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Private and Military Secretaries to the Hon'ble the President, the Prime Minister's Secretariat, the Cabinet Secretariat, the Planning Commission and the Ministries of the Government of India as well as the State Governments.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. P. MATHUR, Jt. Secy.

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1965